न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 69/2022
वादीगण :-
1. जीवनराम पुत्र शिवराम
2. श्रवणराम पुत्र शिवराम
3. राजू पुत्री शिवराम
4. संतोष पुत्री शिवराम
5. सीतादेवी पत्नी शिवाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. कन्हैयालाल पुत्र भोलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कटाण मार्ग स्कूल के हत्थे के पास स्कूल बस्ती नांदडी जोधपुर जिला जोधपुर
2. बाबूलाल पुत्र भोलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राधादेवी पुत्री भोलाराम पत्नी भाकरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धाकले मोराई तहसील रायपुर जिला पाली
4. बुधाराम पुत्र सुखाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी निजामपेट हैदरनगर मेट्रो पिलर नंबर 666 मियापुरा हैदराबाद तेंलगाना
5. तिलाराम पुत्र सुखाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. गंगादेवी पुत्री सुखाराम पत्नी सोनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चिरढाणी तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
7. फूलीदेवी पुत्री सुखाराम पत्नी बाबूलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सियारा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
8. सुरजी पुत्री सुखाराम पत्नी सोहनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी घोडावट तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
9. गुटी देवी पुत्री सुखाराम पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाडा
10. विद्यादेवी पुत्री सुखाराम पत्नी मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी खेजडला तहसील बिलाडा
11. सायरी देवी पत्नी सुखाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा
12. कैलाश पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कटाण मार्ग स्कूल के हत्थे के पास स्कूल बस्ती नांदडी जोधपुर जिला जोधपुर
13. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा
14. डूंगरराम पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा
15. शैतानराम पुत्र चिमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कटाण मार्ग स्कूल के हत्थे के पास स्कूल बस्ती नांदडी जोधपुर
16. संतोष पुत्री चिमनाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी साथीन तहसील पीपाडशहर
17. पानी पत्नी चिमनाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाडा
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.- 1 से 5 - श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 6 से 17- श्री अशोक कुमार पटेल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या - 18 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 3.0257 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 448/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै. मु. ढाणी, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7587 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 578 रकबा 5.0239 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 10.8488 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/15 वां हिस्सा वादी संख्या-1 का तथा 1/15 वां हिस्सा वादी संख्या-2 का तथा 1/15 वां हिस्सा वादी संख्या-3 का तथा 1/15 व० हिस्सा वादी संख्या-4 का तथा 1/15 वां हिस्सा वादी संख्या-5 का तथा 1/9 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/9 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का तथा 1/9 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का तथा 1/27 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का तथा 1/162 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का तथा 1/162 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का तथा 1/162 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 का तथा 1/162 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का तथा 1/162 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 तथा 1/162 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 17 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 17 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 17 इसके लिए तैयार नही हुए तो वादीगण अपने दावे के पद संख्या-1 में वर्णित भूमि का 1/15-1/15 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संर 1 से 17 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश करना पड़ रहा है। बाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 17 द्वारा दिनांक 06.2022 को वादीगण के कब्जे व काश्त में दखल करने पर तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए नहीं होने पर वमुकाम ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा में पैदा जो निरन्तर जारी है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम रणसीगांव बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 448/1 रकबा हैक्टेयर किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 522 रकबा हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 578 रकबा

हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 10.8488 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण का 5/15 वां हिस्सा की भूमि को अलग कर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 6 से 17 का काउण्टर वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 3.0257 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 448/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै. मु. ढाणी, खसरा नम्बर 522 रकबा 2.7587 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 578 रकबा 5.0239 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 4 कुल रकबा 10.8488 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार **मौके पर कब्जा अनुसार** भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	जीवनराम पुत्र शिवराम 1/5 श्रवणराम पुत्र शिवराम 1/5 राजू पुत्री शिवराम 1/5 सीता पत्नी शिवराम 1/5 संतोष पुत्री शिवराम 1/5 जाति कुम्हार सा.देह	578 578 522 448 448	0.65 0.9761 0.9123 0.5262 0.4500
	कुल योग	5	3.5146
2	कन्हैयालाल पुत्र भोलाराम 1/3 बाबूलाल पुत्र भोलाराम 1/3 राधा देवी पुत्री भोलाराम 1/3 जाति कुम्हार सा.देह	578 578 522 448 448	0.65 0.9761 0.9123 0.4762 0.50
	कुल योग	5	3.5146
3	बुधाराम पुत्र सुखाराम 1/8 तिलाराम पुत्र सुखाराम 1/8 गंगादेवी पुत्री सुखाराम 1/8 फुलीदेवी पुत्री सुखाराम 1/8 सुरजी पुत्र सुखाराम 1/8 गुडी देवी पुत्री सुखाराम 1/8 विद्यादेवी पुत्री सुखाराम 1/8 कैलाश पुत्र चिमनाराम 1/40 ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम 1/40 डुंगरराम पुत्र चिमनाराम 1/40 शैतानराम पुत्र चिमनाराम 1/40 संतोष पुत्री चिमनाराम 1/40 पानी पत्नी चिमनाराम कुम्हार	448 448 522 578 578	0.4949 0.4813 0.9213 0.88 0.1461
4	शामलाती खाता जमाबंदी अनुसार बदस्तूर	578 448/1 522 448	0.1456 0.0405 0.0218 0.0971

उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

...ायक कलक्टर
...प खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.03.2026 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के काउण्टर वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादीगण तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण व प्रतिवादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.03.2026 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**
जीवनराम — कन्हैयालाल वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 69/2022

निर्णय — **दिनांक :-** 6/05/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या- 1 से 5 की ओर से श्री बेनाराम पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 6 से 17 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल, रखाराम चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या -18 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादीगण तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण व प्रतिवादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.03.2026 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)
(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा)

मुबलिग — बाबत् -

तीज - के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)
(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा)